



उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)



Andaman Road, Garhi Cantt, Dehradun - 248003 Telfax : 0135-2754041
Website - www.upnl.co.in, E-mail : upnl.ua@rediffmail.com, info@upnl.co.in, rpo@upnl.co.in

7001/ESI-Code2015

23 Dec 2015

SERVICE NOTE

ESI SECTION

ISSUE OF ESI CODE ~~61000001490001001~~ TO UPNL,GARHI CANTT, DEHRADUN

- 1 It is to inform you that ESI code No. 61000001490001001 has been issued to our UPNL,Garhi Cantt,Dehradun for registration of their employees under ESI Act. *Photo copy of letter issued by ESI Regional office Premnagar, Dehradun is also enclosed herewith.*
2. You are requested to upload above Registration No. 61000001490001001 at UPNL website for vide publicity.



Encl : As stated above

IT Section, UPNL

KRS Khati
DGM(Finance)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
 क्षेत्रीय कार्यालय विंग नं० 4, शिवपुरी प्रेमनगर, देहरादून, उत्तरांचल

61-0149-101-DN

दिनांक 9.11.2006

देवा में,

M/S Uttaranchal Purv Sainik Kalyan Udham Ltd (UPSUL),
 Sub Area Canteen Complex, Garhi Cantt,
 Dehradun 248003

विषय : क०रा०बी० अधिनियम 1948 का लागू किया जाना - क०रा० बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखानों तथा स्थापनाओं का पंजीकरण ।

THE PRINCIPAL Employers are NOT ABSOLVED of THEIR LIABILITY U/S 40(1) & 41 of ESI Act in respect of Employees engaged through contractors with or WITHOUT ESI Code Number)

प्रिय महोदय,

- मुझे सूचित करना है कि क०रा० बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के उपबन्धों की अधिसूचना संख्या-S-916 दिनांक. 22.03.1963 द्वारा अधिनियम की व्याप्ति के अन्तर्गत DEHRADUN क्षेत्र में आने वाले समस्त कारखानों /स्थापनाओं पर लागू कर दिया है ।
- मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिसूचना संख्या 1790/VIII/479- कराबीयो/203 दिनांक 21.9.05 द्वारा क०रा०बी० अधिनियम की धारा 1 (5) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार शैक्षणिक संस्थाओं तक भी कर दिया है
- अधिनियम की धारा 2 क के अन्तर्गत ऐसे कारखानों / स्थापनाओं के लिए पंजीकरण कराना अधिनियमानुसार आवश्यक है तथा अधिनियम का अध्याय 4 ऐसे कारखानाओं / स्थापनाओं के प्रति नियोजक पर यह उत्तरदायित्व डालता है कि वे अपने कर्मचारियों को पंजीकरण करें तथा अधिनियम की व्याप्ति के अन्तर्गत लाये गये कर्मचारियों से सम्बन्धित अभिदायों की अदायगी करें ।
- आपके कारखाना /स्थापना के बारे में आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए 01 फार्म व्योरों के आधार पर बीमा निरीक्षक /स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक द्वारा दिनांक 1.4.06 (P) से अधिनियम की धारा 1(5) की व्याप्ति सीमा के अन्दर आता है फिर भी यदि परवर्ती तथ्य यह प्रकट करते हैं कि आपका कारखाना / स्थापना उपर उल्लेख की गई तारीख के पहले की किसी तारीख से व्याप्ति के योग्य था / थी तो आप ऐसी पहले की तारीख से अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए स्वयं को उत्तरदायी समझेंगे ।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अधिनियम के अन्तर्गत आपके कारखाना / स्थापना की व्याप्ति की तारीख से घोषणा प्रपत्रों (फार्मों) में भरकर अपने कर्मचारियों के पंजीकरण अभिदाय विवरणी की तैयारी तथा अभिदायों की अदायगी अभिलेखों के रखरखाव आदि के लिए तत्काल कदम उठाएँ ।

सुविधा के लिए आपकी स्थापना की कूट संख्या 61-0149-101-DN आवन्तित कर दी गई जिसका प्रयोग इस कार्यालय के साथ किये जाने वाले समस्त पत्राचार तथा प्रयोजनों हेतु निर्दिष्ट स्थानों में करें । देहरादून में स्थित निगम के स्थानीय कार्यालयों को यह अनूदेश दे दिया गया है कि वह आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में आपको आवश्यक सहयोग प्रदान करें । यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त स्थानीय कार्यालय के प्रबन्धक से सम्पर्क करेंगे तो कि आपके मामले में आवश्यक राभी मदद प्रदान करेगा ।

अथवा योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक किस्से अन्य प्रयोजनों के सिलसिले में कोई कठिनाई हो तो यह अनुरोध किया जाता है कि आप कृपया अपनी स्थापना के कर्मचारियों की जानकारी हेतु बीमा चिकित्सा कर्ताओं तथा राज्य बीमा औषधालयों की सूचियाँ व्यापक रूप से प्रचारित करें ताकि आपके कर्मचारियों को अपने राज्य बीमा चिकित्सालयों बीमा कर्ताओं को चुनने में सुविधा हो । कृपया उपर बताए गये स्थानीय कार्यालयों जिनसे समस्त कर्मचारी भी सम्बन्धित होंगे से अपेक्षित प्रपत्र (फार्मों) एवं अभिदाय विवरणी प्रपत्र आदि एकत्र कर लें ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आपके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वाह में नियम के कर्मचारी आपकी समस्त एवं सम्भव सहायोग प्रदान करने में प्रसन्नता अनुभव करेंगे और मैं आपकी ओर से इस बारे में आश्वस्त हूँ कि आप क०रा०बीमा अधिनियम एवं विनियमों का मुस्तैदी एवं समय से अनुपालन करेंगे ।

कृपया क०रा०बीमा अंशदान SBI MAIN BRANCH DEHRADUN में जमा करें ।
 बीमा औषधालय देहरादून

भवदीय

राजकुमार अग्रवाल
 उप निदेशक

प्रतिरिपि: प्रबन्धक /बीमा निरीक्षक शाखा कार्यालय देहरादून